NOTICE – GENERAL

(No. Ref REG./GEN/15/ 08 July 2020)

उ०प्र० शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेत आवश्यक सूचना (सत्र 2020–21)

(अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु)

Important Information regarding Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement (2020-21)

(For SC/ST, OBC, GEN, and Minority Students)

(REVISED)

सत्र 2020–21 हेतु उ०प्र० शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement) को प्राप्त करने हेतु संशोधित नियमावली 2020 जारी की गयी है। इसके निर्देशानुसार संस्थान में सत्र 2020–21 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शासन से प्रदान की जानी हैं। इसके लिए पात्र छात्र/छात्राओं को उ०प्र० शासन की वेबसाइट scholarship.up.gov.in के Link पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना हैं तथा शासन द्वारा दी गयी समयसारिणी के अनुसार त्रुटिहीन आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर निर्धारित तिथि के अन्दर संस्थान के कुलसचिव कार्यालय में जमा करना हैं। शासन के निर्देशानुसार आवेदन पत्र भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया छात्र/छात्राओं द्वारा पूर्ण की जानी है एवं इसमें भरी गयी असत्य एवं गलत सूचना भरने व देने के लिए छात्र/छात्राएँ स्वयं ही जिम्मेदार होंगे तथा ऐसी परिस्थितियों में उ०प्र० शासन द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र भरने की प्रकिया, पात्रता एवं संलग्न होने वाले आवश्यक प्रपत्र तथा समयसारिणी का विवरण निम्न हैं।

(क) आवेदन पत्र भरने की प्रकिया

First open UP Govt website scholarship.up.gov.in

↓ then go to

Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement online system (Link)

(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली) पर जाये उसके बाद

↓

Student Section 2020-21

Old Student click for renewal scholarship → For Renewal Application Form

विगत वर्ष छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने वाले छात्र/छात्राओं के नवीनीकरण हेतु।

1. रजिस्ट्रेशन करें
2. आवेदन हेतु लागिन करें
3. विगत वर्ष भरे आवेदन पत्र को अपडेट करें
4. आवेदन पत्र की जाँच करे यदि त्रुटि हो तो सही करें
5. फाइनल प्रिन्ट निकालें

New Student click for new registration → For Fresh Application Form

नवप्रवेशित तथा वर्तमान में पात्रता प्राप्त करने वाले पूर्व से अध्ययनरत् ऐसे छात्र जो व्यक्तिगत कारणो से विगत वर्ष में आवेदन नही कर सकें।

1. रजिस्ट्रेशन करें
2. आवेदन हेतु लागिन करें
3. नया आवेदन पत्र भरें
4. आवेदन पत्र की जाँच करें यदि त्रुटि हो तो सही करें
5. फाइनल प्रिन्ट निकालें

(ख) पात्रता

(1) **नवीनीकरण हेतु पात्रता** –

(क) विगत वर्ष 2019–20 में आवेदन करने वाले छात्र/छात्राएँ ही सत्र 2020–21 में नवीनीकरण हेतु पात्र होगें।

(ख) सत्र 2020–21 हेतु निर्धारित समय–सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

(ग) छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

(घ) शेष पात्रता की शर्तें विगत वर्ष (2019–20) की भातिं ही होगी। विगत वर्ष सत्र 2019–20 मे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले सभी उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण करना अनिवार्य है न करने पर उनके विरुद्ध जॉच तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(2) **नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं हेतु पात्रता**–

(क) **अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पात्रता :–**

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु उसके परिवार की आय समस्त स्रोतों से 2.5 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए तथा संस्थान के परिसर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया में छात्र का साधारण एकल बचत खाता होना आवश्यक हैं तथा यह खाता आधार से लिंक होना चाहिए। छात्र/छात्रा का प्रवेश काउन्सिलिंग के माध्यम से होना चाहिए।

(ख) <u>सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पात्रता :–</u>

सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु उसके परिवार की आय समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु विगत सत्र की परीक्षा में 60% अंको में उर्त्तीण होना अनिवार्य हैं तथा संस्थान के परिसर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया में छात्र का साधारण एकल बचत खाता होना आवश्यक हैं तथा यह खाता आधार से लिंक होना चाहिए।

(3) नवीनीकरण करने वाले एवं नवप्रवेशित छात्र छात्रायें अपना मोबाइल नम्बर अकिंत करेगें (भरेगे) यह मोबाइल नम्बर छात्र/छात्राओं के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

(ग) <u>आवश्यक संलग्नक</u>

- आवेदन पत्र का संस्था मे जमा करने हेतु प्रिन्ट आउट।
- छात्र/छात्राओं के परिवार की सभी स्रोतों से आय का आय प्रमाण पत्र, (तहसीलदार द्वारा जारी) तथा नेट वैरिफिकेशन सहित यदि आय प्रमाण पत्र में आय का श्रोत सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी लिखा हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी अतिरिक्त रुप में संलग्न करना आवश्यक हैं।
- तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (केवल SC, ST, & OBC हेतु) नेट वैरिफिकेशन सहित।
- तहसील द्वारा निर्गत छात्र का निवास प्रमाण पत्र नेट वैरिफिकेशन सहित।
- राष्ट्रीयकत बैंक में छात्र के बचत खाते की पास बुक की फोटो कापी (खाता संस्थान में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की तिवारीगंज शाखा लखनऊ में होना चाहिए)
- संस्थान में जमा की गयी शुल्क रसीद की छाया प्रति।
- छात्र के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- यू.पी.एस.ई.ई. आवंटन पत्र तथा रेंक लेटर की छाया प्रति।
- हाईस्कूल प्रमाण पत्र।
- इन्टर मार्कशीट/डिप्लोमा मार्कशीट तथा स्नातक कोर्स हेतु स्नातक मार्कशीट।
- सत्र 2019–20 में यदि शिक्षा में अन्तराल है तो इसका शपथ पत्र।
- छात्र द्वारा प्रारुप .1 पर शपथ पत्र (जाति, निवास, शिक्षण संस्थान, विगत वर्ष परीक्षा उर्त्तीण होने, बैंक खाता सम्बन्धित विवरण का एक ही शपथ पत्र पर) दिये जाने वाला धोषणा पत्र। प्रारुप कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त करें।
- अभिभावक द्वारा दिये जाने वाला शपथ पत्र प्रारुप 2 पर (निवास, आय सम्बन्धित शपथ पत्र) प्रारुप कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त करें।
- छात्र/छात्राऐं इस आश्रय का शपथ पत्र अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर कराके की वें कक्षा मे 75 प्रतिशत उपस्थित पूर्ण करेंगा तथा वार्षिक परीक्षा मे भी सम्मिलित होगा यदि छात्र/छात्रा 75 उपस्थिति पूर्ण नहीं करता हैं और वार्षिक परीक्षा मे सम्मिलित नहीं होता है तो शासन से प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सम्बधित विभाग को वापस करेंगा।
- माता तथा पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना है।

(ध) <u>समय सारिणी सत्र 2020–21</u>

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन नवीन आवेदन तथा नवीनीकरण किया जाना	प्रारम्भ 01 अगस्त 2020 से अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर 2020 तक
2.	त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	फाइनल प्रिंट आउट निकलने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र आवश्यक संलग्नकों सहित छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना	संस्थान में जमा करने हेतु (फाइनल) प्रिंट साइट से निकालने के उपरान्त सात कार्य दिवसों के अन्दर
4.	संदेहास्पद डेटा का प्रदर्शित होना व त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना तथा संशोधित आवेदन पत्र को पुनः ऑनलाइन सबमिट किया जाना।	20 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2020 तक
5.	त्रुटियों को ठीक करके ऑनलाइन आवेदन पत्र समस्त संलग्नको सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना	आवेदन पत्र में त्रुटियों को ठीक करने के उपरान्त नया प्रिन्ट निकाल कर 03 कार्य दिवसो के अन्दर में जमा करें।

आज्ञा से,

(डा0 सतीश चन्द)
कुलसचिव
19/11/2020